कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 21 अ–82 / 15–16 भू–अर्जन / 9996   बैतूल दिनांक 11 – 09–2017

ईश्तहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण **ग्राम बोरगांव** प0ह0न0 115 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैः–

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाला रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	3/2	0.445	0.445	मिश्री व0 मुंशी किराड़ सा0 देह

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा **ग्राम बोरगांव** तहसील **मुलताई** के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की **कुल 0.445 हे0** भूमि आपसी सहमति से क्रय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के** समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 8-9-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क्र0 21 अ–82 / वर्ष 15–16 / भू–अर्जन 9996 बैतूल दिनांक 11 –09–2017

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक दैनिक एवं स्थानीय समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

5– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8– सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बोरगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल